देहरादून,पौड़ी–गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित www.page3news.in नगर संस्करण वर्ष 14 अंक: 333 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार–प्रवाह...राय
अपने–आप बदलती जाएगी

पेज थ्री

देहरादून, मंगलवार, 18 फरवरी 2020

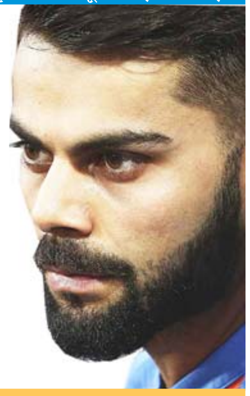

PAGE 3 PUBLICATION | मौसम | अधिकतम 24.0° | न्यूनतम 11.0° | 41055.69

2 चीन कस रहा माओ जैसा शिकंजा

7 विराट कोहली 10वें स्थान पर खिसके

संक्षिप्त समाचार

भगवान की सीट पर विवाद, रेलवे ने बताई सच्चाई

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी से इंदौर के बीच काशी महाकाल एक्सप्रेस का उद्घाटन करते हुए उसे हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन में भगवान शंकर के लिए भी एक सीट आरक्षित रखी गई थी जिस पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर सवाला उठाया था। अब इस विवाद पर इंडियन रेलवे केटरिंग ऐंड टूरिजम कॉर्पोरेशन ने सफाई देते हुए कहा है कि यह सिर्फ उद्घाटन के लिए था जिसका मकसद इस प्रॉजेक्ट की सफलता के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेना था।

कश्मीर पर साजिश? ब्रिटिश एमपी एयरपोर्ट से डिपोर्ट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। कश्मीर के मुद्दे पर ब्रिटिश संसद की सर्वदलीय टीम की अध्यक्षता कर रही ब्रिटेन की एक सांसद का दावा है कि वैध पासपोर्ट होने के बाद भी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें एंट्री नहीं दी गई और दुबई डिपोर्ट कर दिया गया जहां से वह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची थीं। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले की आलोचक रहीं सांसद डेबी अब्राहम्स का दावा है कि उनका वीजा अक्टूबर में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्हें सोमवार को पता चला कि उनका ई–वीजा रद्द कर दिया गया है।

14 साल बाद भाजपा में लौटे बाबूलाल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) रांची। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हो गए हैं। रांची के प्रभात तारा मैदान में भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फूलों की माला पहनाकर बाबूलाल मरांडी का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद अन्नपूर्णा देवी, लक्ष्मण गिलुवा, सांसद पीएन सिंह समेत झारखंड भाजपा के सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे।

निर्भया केस में तीसरा डेथ वॉरंट जारी

दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे दी जाएगी फांसी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में चारों दोषियों के खिलाफ तीसरी बार डेथ वॉरंट जारी हुआ है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को 3 मार्च, मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे फांसी देने का समय मुकर्रर कर दिया है। आपको बता दें कि निर्भया के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। हालांकि दोषियों के वकील एपी सिंह का दावा है कि उनके पास अब भी कई कानूनी विकल्प बाकी है। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि यह मीडिया और राजनेताओं का प्रेशर है, जिसके कारण फांसी की तारीख आई है।

उधर, निर्भया की मां ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अब 3 मार्च फाइनल होगा और गुनहगारों को फांसी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा

कि कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं। हालांकि पिछले अनुभवों को देखते हुए उनके चेहरे पर उतनी खुशी नहीं थी। उन्होंने शब्दों में जरूर कहा, मैंने इतना संघर्ष किया है। अब उम्मीद है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा।

दोषियों के वकील का कहना है कि वह अक्षय के लिए नई दया याचिका लगाएंगे। पवन के पास भी क्यूरेटिव पिटिशन और राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प बचा हुआ है। मालूम हो कि सुप्रीम

छुट्टी पर गए दोषी मुकेश के वकील

निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। निर्भया के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश की पैरवी अब रवि काजी करेंगे। सोमवार को सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर छुट्टी पर थीं, जिसके बाद कोर्ट ने रवि काजी को मुकेश की पैरवी करने की इजाजत दे दी। सुको ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में चार दोषियों को अलग–अलग फांसी दिए जाने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका का लंबित रहना दोषियों को फांसी के लिए निचली अदालत द्वारा नयी तारीख जारी करने की राह में आड़े नहीं आएगा।

कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया था कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में चार दोषियों को अलग–अलग फांसी दिए जाने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका का लंबित रहना दोषियों को फांसी के लिए निचली अदालत द्वारा नई तारीख जारी करने की राह में आड़े नहीं आएगा।

इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान पता चला कि दोषी मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर छुट्टी पर थीं, जिसके बाद कोर्ट ने रवि काजी को मुकेश की पैरवी करने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि दोषियों की कोई याचिका शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है और उनमें से तीन की दया याचिकाएं राष्ट्रपति द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। जबकि चौथे दोषी ने अब तक दया याचिका देने का विकल्प नहीं चुना है, ऐसे में निचली अदालत फांसी के लिए नयी तारीख जारी कर सकती है।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका 17 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी थी। आज इस मामले में कोर्ट का फैसला आएगा। दरअसल, हाई कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी पर रोक को निरस्त करने से इनकार कर दिया था।

'सुप्रीम' फैसला, महिला सैनिकों को कमीशन

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित करना न सिर्फ भेदभावपूर्ण है, बल्कि यह अस्वीकार्य है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अपने नजरिए और मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि महिलाओं को सेना के 10 विभागों में स्थायी कमीशन दिया जाए। कोर्ट ने महिलाओं को कमांड न देने के सरकार के तर्क को भी गलत और भेदभाव

केंद्र के विचारों को कोर्ट ने खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी नागरिकों को अवसर की समानता और लैंगिक न्याय सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा। महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं पर केंद्र के विचारों को कोर्ट ने खारिज किया।

सेना में सच्ची समानता लानी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना में सच्ची समानता लानी होगी। 30 प्रतिशत महिलाएं वास्तव में लड़ाकू क्षेत्रों में तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी कमीशन देने से इनकार स्टीरियोटाइप पूर्वाग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। केंद्र की दलीलें परेशान करने वाली हैं। महिला सेना अधिकारियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। कोर्ट ने कर्नल कुरैशी का उल्लेख किया।

पूर्ण बताया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद भी युद्ध क्षेत्र में महिला अधिकारियों को तैनाती नहीं मिलेगी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति एक विकासवादी प्रक्रिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि सुको द्वारा हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, फिर भी केंद्र ने हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया।

शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए बनाई टीम

जनजीवन ठप करने की समस्या से जुड़ा मुद्दा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। शाहीन बाग में करीब दो महीने से बंद सड़क खोलने में अभी और समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मसले पर सुनवाई के दौरान केंद्र, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को कहा है। अदालत ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह को मध्यस्थ नियुक्त किया है।

सोमवार को एक याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम के मुताबिक, प्रदर्शन करने की जगह जंतर–मंतर है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा जनजीवन को ठप करने की समस्या से जुड़ा है। सुको ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हलफनामा देने को कहा है और अब इस मसले पर 24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों को अपनी आवाज समाज तक पहुंचाने का अधिकार है। हम अधिकारों की रक्षा के विरोध के खिलाफ नहीं हैं। लोकतंत्र में अपनी आवाज जरूर पहुंचाएं। समस्या दिल्ली के ट्रैफिक को लेकर है। लेकिन आप दिल्ली को जानते हैं, यहां के ट्रैफिक को भी जानते हैं। हर कोई सड़क पर उतरने लगे तो क्या होगा?

सुनवाई

■शाहीन बाग में पिछले 2 महीने से सड़क बंद है

सब सड़क बंद कर दें तो क्या होगा?: हमारी चिंता इस बात को लेकर अगर लोग सड़कों पर उतर आएं और प्रदर्शन से सड़क बंद कर दें तो क्या होगा? अधिकारों और कर्तव्य के बीच संतुलन जरूरी है। शीर्ष अदालत ने शाहीन बाग प्रदर्शन पर कहा कि वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े प्रदर्शनकारियों से बात करें। संजय हेगड़े ने पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ से भी चलने की अपील की।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

सीएम केजरीवाल ने संभाली कुर्सी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पद व गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सचिवालय जाकर आज पदभार ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रालयों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। वह खुद इस बार कोई भी मंत्रालय अपने पास नहीं रख रहे हैं। पटपड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया इस

मंत्रालय का बंटवारा, सिसोदिया फिर बने शिक्षा मंत्री

कार्यकाल में भी डेप्युटी सीएम रहेंगे और उनके पास पहले की तरह शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी।

उनके अतिरिक्त केजरीवाल के पिछले कार्यकाल में ग्रामीण विकास व रोजगार मंत्री रहे बाबरपुर से विधायक गोपाल राय को इस बार पर्यावरण मंत्रालय का पदभार दिया गया है। उन्होंने शकूर बस्ती से विधायक सत्येंद्र जैन को जल बोर्ड की जिम्मेदारी दी है। पिछले कार्यकाल में वह स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी देख रहे थे। वहीं, महिला व बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी राजेंद्र पाल गौतम को दी गई है। यह मंत्रालय पहले पटपड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया देख रहे थे।